

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

10 / 2022
22.08.2022

जरिये कीर्ति शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक

- प्रार्थी

बनाम

मै० श्री सालासर कोटा कचौरी बस स्टेण्ड के बाहर मालपुरा जिला टोंक

- अप्रार्थी

जब्तशुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थित:-

- 1- पेराकार सरकार - प्रार्थी की ओर से
- 2- अप्रार्थी स्वयं

निर्णय

दिनांक 10.10.2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 05.08.2022 को प्रवर्तन निरीक्षकगणो द्वारा मै० श्री सालासर कोटा कचौरी, बस स्टेण्ड के बाहर मालपुरा जिला टोंक के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईंधन के रूप में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर योगेश कुमार साहू मालिक श्री सालासर कोटा कचौरी, बस स्टेण्ड के बाहर मालपुरा जिनकी उपस्थिति में निरीक्षण एवं अभिग्रहण की कार्यवाही की गई। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 3 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस भट्टी सहित मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :-



जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)


क्र. स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
01	090508	(HP)	14.2	15.9	20.2	4.3
02	296309	(HP)	14.2	15.7	18.2	2.5
03	025558	(HP)	14.2	16.1	29.4	13.3
						20.1

इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर खाद्य सामग्री बनाने में ईंधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त जल्लशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलवी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 05.08.2022 को प्रवर्तन निरीक्षकगणो द्वारा मै0 श्री सालासर कोटा कचौरी, बस स्टेण्ड के बाहर मालपुरा जिला टोंक के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईंधन के रूप में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर योगेश कुमार साहू मालिक श्री सालासर कोटा कचौरी, बस स्टेण्ड के बाहर मालपुरा जिनकी उपस्थिति में निरीक्षण एवं अभिग्रहण की कार्यवाही की गई। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 3 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस भट्टी सहित मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई। व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर खाद्य सामग्री बनाने में ईंधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उक्त जल्लशुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 20.1 Kg एलपीजी गैस रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस भट्टी जल्ल किया गया तथा जल्ल सामग्री मय गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु वापू गैस एजेन्सी मालपुरा के प्रतिनिधि श्री बाबूलाल चौधरी की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया




जिला कलेक्टर
टोंक

गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द-वुर्द नही करे। व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 20.1 kg एलपीजी, रबर पाईप, मय रेगुलेटर व गैस भट्टी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश न कर प्रकरण का उचित निरस्तारण किये जाने का अनुरोध किया।

हमने पेरोकार सरकार की बहस एवं अप्रार्थी के कथन पर मनन किया व पत्रावली का अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि० 05.08.2022 के अनुसार मै० श्री सालासर कोटा कंचौरी, बस स्टेण्ड के बाहर मालपुरा जिला टॉक के व्यवसायी परिसर पर आकरिमक जाँच / निरीक्षण करने पर मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप से खाघ सामग्री बनाने में प्रयोग करने के कारण उक्त 3 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर व लोहे की भट्टी मय नोजल सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।


(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस.
01	090508	(HP)	14.2	15.9	20.2	4.3
02	296309	(HP)	14.2	15.7	18.2	2.5
03	025558	(HP)	14.2	16.1	29.4	13.3
						20.1

जांच करने पर दुकान/गोदाम मे मौके पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर योगेश तथा बाबूलाल चौधरी के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी दिनेश, योगेश कुमार व बाबूलाल चौधरी के हस्ताक्षर है। टॉक गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि रतन लाल जाट को उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय-समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप में अवैध रूप से खाघ सामग्री बनाने





जिला कलेक्टर
टोंक

में प्रयोग करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 3 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गैस सिलिण्डर मय 20.1 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक